न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 83/2017

1— चन्दा पत्नि श्री हरीराम पुत्री श्री नोरत जाति माली निवासी मालियो की बाडी पुरूपोत्तम नगर किशनगंढ जिला अजमेर

वादिया

बनाम

1— नोंरत पुत्र श्री हरजी जाति माली निवासी बनेष्ठिया का मोहल्ला छतरियो कें पास मालियो की बाडी किशनंगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर

2— रूपा पुत्र स्वर्गीयश्री हरजी,जाति माली निवासी ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर

3— छोटू पुत्र स्व0श्री हरजी जाति माली निवासी ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर

4— श्रीमति लक्ष्मी पत्नि श्री नोरत जाति माली निवासी बनेष्ठिया का मोहल्ला छतरियो के पास मालियो की बाडी पुरूपोत्तम नगर किशनगंढ जिला अजमेर

5— प्रकाश पुत्र नोरत जाति माली निवासी बनेष्ठिया का मोहल्ला छतरियो के पास मालियो की बाडी पुरूपोत्तम नगर किशनगंढ जिला अजमेर

6— सम्पति पत्नि श्री गजानन्द माली पुत्री श्री नोरत जाति माली निवासी कांचरिया रोड सतरावला की मालियो की बाडी किशनगंढ जिला अजमेर

7— तारा पत्नि रूपचन्द माली पुत्री श्री नोरत जाति माली निवासी बडा उदयपुर कला सिलोरा तहसील किशनगढ

8— रामप्यारी पत्नि श्री बिरदीचन्द जाति माली निवासी करकेडी तहसील किशनगढ जिला अजमेर

9— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,188 रा0का0अधिनियम 1955

समक्ष

सुश्री श्री टीना डाबी आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

उपस्थितः—

1—श्री अभिषेक शर्मा — **अभिभाषक वादी**

2—श्री निरज मिश्रा — **अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1से 8**

निर्णय

दिनांक 04.01.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के द्वारा वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी जिसके साबिक खसरा नम्बर 692 रकबा 01—18—10, खसरा नम्बर 1313 रकबा 10—10—00 जो कि वाके ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर मे स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 895 रकबा 0.31 व खसरा नम्बर 1686 रकबा 1.70 है। उक्त आराजी वर्किगजमाबन्दी सवंत 2041 मे स्वर्गी श्री हरजी वल्द गणेश कौम माली की खातेदारी मे दर्ज है। स्वर्गीय हरजी वल्द गणेश कौम माली का स्वर्गवास दिनांक 13.05.2001 को हो गया था उक्त वादग्रस्त आराजी का फोती नामान्तकरण संख्या 243 दिनांक20.11.2004 को तस्दीक किया गया है जो केवल मात्र स्वर्गीय श्री हरजी के तीनो पुत्रो रूपा,छोटू,नौरत (प्रतिवादी संख्या 1 से 3) के नाम राजस्व रेकार्ड मे हरजी के बजाय दर्ज किये गये। हरजी के अन्य वारिसान जिसमे वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का नाम हरजी की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही किया गया है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार पुत्र की पुत्री यानि पौत्री को दादा की सम्पति मे जन्म से अधिकार प्राप्त है। स्वर्गीय हरजी की मृत्यु होने के उपरान्त वादिय अन्य खातेदारान की तरह वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुकी है एवं बाई आपरेशन आफ लॉ वादियो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एंव वादिया का हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे स्वर्गीय हरजी की

करता है। वाद कारण सर्व प्रथम दिनांक 13.05.2001 को वादिया को उत्पन्न हुआ जबस्वर्गीय श्री हरजी की मृत्यु हुई उसके पश्चात दिनांक 20.11.2004 को उत्पन्न हुआ जब नामान्तकरण संख्या 243 राजस्व अभिलेख मे दर्ज किया गया, परन्तु वादिया का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 10.07.2017 को जब प्रतिवादीगण ने वादिया का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज करवाने से साफ इन्कार कर दिया उसके उपरान्त वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है। अन्त मे वाद स्वीकार किया जाकर वादियो को उपरोक्त आराजी मे से 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रज़िस्टर कियाजाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या1 से 8 की ओर से श्री नीरज मिश्रा अभिभाषक के द्वारा अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

दौराने वाद उभय पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा विलेख दिनांक 06.09.2017 को प्रस्तुत किया जो जिसके पैरा संख्या 4 मे उभय पक्षकारान के द्वारा यह निवेदन किया गया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण वाद पत्र की चरण संख्या 1 व अनुतोष के कालममे खसरा संख्या 1686 के बजाय 1616 अंकित हो गया इस लिये वंहा पर खसरा संख्या1616 के स्थान पर 1686 पढा जावे तथा पर्चा डिक्री व निर्णय मे भी खसरा सख्या 1686 रकबा 1.70है0 अकितकिया जावे। न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.09.2017 को ही उभयपक्ष के अभिभाषकगण व समस्त पक्षकारान को राजीनामा पढकर सुनाया गया। जिसे उभय पक्षकारान के स्वीकार किया तथा सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर एंव अंगूठा निशानी को उनके अभिभाषकगण के द्वारा तस्दीक एंव पहचान किया गया। प्रस्तुत राजीनामे का तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रकरण वास्ते सुनवाई राजीनामा आगामी तारीख नियत की गई। दिनांक 13.12.2017 को उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण को राजीनामे पर सुना गया। उभय पक्षकारणन के अभिभाषक ने राजीनामे मे अंकित तथ्यो को स्वीकार कर आदेशिका पर अपने कथनो के समर्थन मे हस्ताक्षर अंकित किये तथा प्रकरण मे राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षसकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामे व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। राजीनामा किसी भी विधि से बाधित नही है तथा राजीनामे के अनुसार वाद को डिक्री किया जानान्यायोचित क्योकि वादग्रस्त आराजी वादिया के पिता श्री नौरत की पुश्तैनी आराजी है जिसमे वादिया को पोत्रो के समान अधिकार धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित करता है इसलिए वादिया वाद पत्र एंव राजीनामे मे अंकित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः वादीया का वाद राजीनामे के अनुसार स्वीकार किया जाकर वादिया को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1686 रकबा 1.70है0 व खसरा संख्या 895 रकबा 0.31है0 मे 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे वादिया का नाम वादग्रस्त आराजी के 1/15 हिस्से हेतु बतोर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री इसी कदर से जारी हो। तहसीलदार अजमेर को निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री टीना डाबी आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

1— चन्दा पत्नि श्री हरीराम पुत्री श्री नोरत जाति माली निवासी मालियो की बाडी पुरूपोत्तम नगर किशनगंढ जिला अजमेर

वादिया

बनाम

1— नोंरत पुत्र श्री हरजी जाति माली निवासी बनेष्ठिया का मोहल्ला छतरियो के पास मालियो की बाडी किशनंगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर

2— रूपा पुत्र स्वर्गीयश्री हरजी,जाति माली निवासी ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर

3— छोटू पुत्र स्व0श्री हरजी जाति माली निवासी ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर

4— श्रीमति लक्ष्मी पत्नि श्री नोरत जाति माली निवासी बनेष्ठिया का मोहल्ला छतरियो के पास मालियो की बाडी पुरूपोत्तम नगर किशनगंढ जिला अजमेर

5— प्रकाश पुत्र नोरत जाति माली निवासी बनेष्ठिया का मोहल्ला छतरियो के पास मालियो की बाडी पुरूपोत्तम नगर किशनगंढ जिला अजमेर

6— सम्पति पत्नि श्री गजानन्द माली पुत्री श्री नोरत जाति माली निवासी कांचरिया रोड सतरावला की मालियो की बाडी किशनगंढ जिला अजमेर

7— तारा पत्नि रूपचन्द माली पुत्री श्री नोरत जाति माली निवासी बडा उदयपुर कला सिलोरा तहसील किशनगढ

8— रामप्यारी पत्नि श्री बिरदीचन्द जाति माली निवासी करकेडी तहसील किशनगढ जिला अजमेर

9— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,188 राज0 का0 अधि01955

मुकदमानम्बर :—83 / 17

निर्णय दिनांक :—4/1/18

वादी की ओर से अभिभाषक **अभिषेक शर्मा** एंव प्रतिवादी संख्या **1 से 8 की ओर से श्री निरज मिश्रा** अभिभाषक स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख **04.01.2018** को **सुश्री टीना डाबी आई0ए0एस0** (प्रशिक्षु)के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— बरूह निर्णय दिनांक **04.01.2018** मे वर्णित भाग अ व भाग ब मे दर्शितानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ग्राम गेगल स्थित आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज एंव राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे।

(टीना डाबी)

सहायक कलक्टर (मु0)

अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1—वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2—शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3—प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4—........रूपयेपरप्लीडर की फीस 5—साक्षियों के लिए निर्वाह— व्यय 6—कमिश्नर की फीस 7—आदेशिका की तामिल		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह— व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(टीना डाबी)

सहायक कलक्टर (मु0)